

# न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा  
आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या

प्रविष्टि दिनांक

निर्णय दिनांक

मैनुअल नं.93/प्रा.पत्र/2024

18.09.2024

14.07.2025

( GCMS No. 2024 / 145 )

राजस्थान सरकार जरिये  
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

खाना पुत्र रूपा जाति भील,  
निवासी ग्राम डाबी, तहसील तालेडा, जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपरिस्थित—

प्रार्थी की ओर से परोकार सरकार।  
अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी खाना भील को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 176/1231 रकबा 0.3966 हैक्टेयर एवं 177/1232 रकबा 1.1574 हैक्टेयर वाकेग्राम डाबी आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 93/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/145 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक 2166 दिनांक 11.06.25 के अनुसार मजमे आम में जानकारी करने पर इस नाम के व्यक्ति के जीवित या मृत होने के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। अप्रार्थी के वर्तमान निवास की जानकारी नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र में उसकी तामील करवाया जाना संभव नहीं होने से प्रकरण में एकपक्षीय सुनवाई की गई।

जिला कलक्टर, बून्दी



तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है तथा उक्त भूमि वन विभाग की भूमि के बीच में स्थित है, जिस पर पेड़-पौधे लगे हुए है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली एवं संलग्न आवंटन पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पेरोकार पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि खाना आ. रूपा जाति भील निवासी डाबी को दिनांक 22.11.1975 को भूमि खसरा सं. 176/1231 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा सं. 177/1232 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा वाकेग्राम डाबी का आवंटन किया गया था। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम डाबी की नकल जमाबंदी संवत् 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं. 176/1231 रकबा 0.3966 हैक्टेयर एवं खसरा सं. 177/1232 रकबा 1.1574 हैक्टेयर पर अप्रार्थी खाना गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार तालेडा द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी, आईएलआर एवं नायब तहसीलदार डाबी की संयुक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 27.8.2024 अनुसार मौके पर आवंटी का कब्जा काशत नहीं है तथा उक्त भूमि वन विभाग की भूमि के बीच में स्थित है, जिस पेड़-पौधे लगे हुये है। नकल खसरा गिरदावरी खरीफ (सियालू) वर्ष 2023 संवत् 2080 के अनुसार उक्त भूमि पर कोई फसल नहीं बोई जाकर "पड़त" पडी हुई है।

तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट में गैर खातेदार के ग्राम डाबी में निवास नहीं करना एवं उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होना, भूमि पर आवंटी का कब्जा काशत नहीं होकर मौके पर वन विभाग के पेड़ पौधे लगे हुये होना अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि गैर खातेदार उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने का इच्छुक नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काशत करना आवश्यक है। जबकि नकल खसरा गिरदावरी के अनुसार भूमि मौके पर पड़त होना प्रकट है। इस प्रकार प्रकरण में आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं होने से आवंटन की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित है।

al  
जिला कलेक्टर, बुन्दी



उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं विधिक प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी खाना आ. रूपा जाति भील निवासी डाबी को किया गया भूमि आवंटन खसरा सं. 176/1231 रकबा 2 बीघा 09 बिस्वा (हाल रकबा 0.3966 हैक्टेयर) एवं खसरा सं. 177/1232 रकबा 7 बीघा 03 बिस्वा (हाल रकबा 1.1574 हैक्टेयर) वाकेग्राम डाबी दिनांक 22.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते हैं कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरुद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। निर्णय पत्रावली में सम्मिलित होकर अभिलेखागार में जमा करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 14.07.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( अक्षय गोदारा )  
जिला कलेक्टर, बून्दी

